रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 2004/कार्तिक 5, 1926

No. 471] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2004/KARTIKA 5, 1926

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 705(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीज़ल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खंड 3(च) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ) तारीख 12 सितम्बर, 2002, सा.का.नि. 843(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 519(अ) तारीख 27 जून, 2003, सा.का.नि. 778(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2003, का.आ. 39(अ) तारीख 1 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 146(अ) तारीख 30 जनवरी, 2004 और का.आ. 522(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2004 को अधिक्रान्त करते हुए, यह निदेश देती है कि भारतीय मानक विनिर्देश ब्यूरो के अनुसार 5 प्रतिशत एथेनोल समिश्रित पेट्रोल का, निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, यदि एथेनोल समिश्रित पेट्रोल के प्रदाय के लिए संसाधन देशी एथेनोल की कीमत, अनुकल्पी उपयोगों के लिए देशी एथेनोल की कीमत से तुलनीय है और इस अवस्थान पर इथेनोल का वितरण मूल्य उस अवस्थान पर पेट्रोल के आयात समानता मूल्य से तुलनीय है तथा देशी एथेनोल उद्योग, एथेनोल समिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए ऐसी कीमत पर उसे उपलब्ध कराए रखने के योग्य है, विक्रय किया जाएगा, अर्थात् :—

राज्य	संघ राज्यक्षेत्र
1. आन्ध्र प्रदेश (चित्तूर और नेल्लोर जिलों के सिवाय)	1. दमण और दीव
2. गोवा	2. दादरा और नागर हवेली
3. गुजरात	3. चंडीगढ़
4. हरियाणा	
5. कर्नाटक	
6. महाराष्ट्र	
7. पंजाब	
8. तमिलनाडु (केवल कोयम्बटूर, डिंडीगुल, एरोड, कन्याकुमारी, नीलगीरी, रामनाथपुरम, तीरूनेलवेली, तूतीकोरिन और विरूधुनगर जिलों में)	
9. उत्तर प्रदेश	
10. उत्तरांचल	

2. केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या उसको किए गए निर्देश पर, तथ्यों पर सम्यक विचार करने के पश्चात्, क्षेत्रों और एथेनोल की एथेनोल समिश्रित पेट्रोल में प्रतिशतता को, आदेश द्वारा उपांतरित कर सकेगी जो प्रदाय की जा सकेगी और उसके लिए अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

[फा. सं. पी.-45018/28/2000-सीसी]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2004

G.S.R. 705(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clause 3(F) of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, and in supersession of the notification numbers G.S.R. 644(E) dated the 12th September, 2002, G.S.R. 843(E) dated the 26th December, 2002, G.S.R. 519(E) dated the 27th June, 2003, G.S.R. 778(E), dated the 29th September, 2003, S.O. 39(E), dated the 1st January, 2004, G.S.R. 146(E), dated the 30th January 2004, and S.O. 522(E), dated the 21st April, 2004, Central Government hereby directs that 5% ethanol-blended petrol, as per Bureau of Indian Standards specifications, shall be sold in the following States and Union Territories if the price of sourcing indigenous ethanol for supply of ethanol-blended petrol is comparable to the price of indigenous ethanol for alternative uses, and the delivery price of ethanol at the location is comparable to the import parity price of petrol at that location and the indigenous ethanol industry is able to maintain the availability of ethanol for ethanol-blended petrol programme at such prices :—

	States		Union Territories
1.	Andhra Pradesh (except Chittor and Nellore districts)	1.	Daman and Diu
2.	Goa	2.	Dadra and Nagar
3.	Gujarat	3.	Chandigarh.
4.	Haryana		
5.	Karnataka		
6.	Maharashtra		
7.	Punjab		
8.	Tamil Nadu (only in districts Coimbatore, Dindigul, Erode, Kanayakumari, Nilgiri, Ramanathpuram, Tirunelveli, Tuticorin and Virudhunagar)		
9.	Uttar Pradesh		
10.	Uttaranchal.		

2. The Central Government may, suo motu, or on a reference made to it, after due consideration of facts, by an order, modify the areas, and the percentage of ethanol in the ethanol blended petrol that may be supplied, and specify the period for the same.

[F. No. P-45018/28/2000-CC]

A.K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.